

राजस्थान सरकार

राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग राज्य कर्मचारी के वेतन से की गई कटौतियों का प्रमाण पत्र विभाग (सर्कुलर नं. 40/80 जी.ए. 555 दि. 19.05.80)
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री के वर्ष 19 के वेतन से की गयी नियम 81 ए तथा (सा. विन एक्ट) के अनुसार बीमा प्रमाण प. सं. विक्रमसूत्रा.in
कटौतियों का विवरण निम्नानुसार है।

कटौतियाँ

वेतन एवं भत्ते		राज्य बीमा एवं प्रा. निधि.		जी.पी.एफ.	
		राज्य बीमा			
1	2	3	4	5	6
वेतन	मंहगाई	नगर भत्ता	मकान किराया	योग	माह
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
मार्च		अप्रैल		मई	
जून		जुलाई		अगस्त	
सितम्बर		अक्टूबर		नवम्बर	
दिसम्बर		जनवरी		फरवरी	
योग					

श्री पद दिनांक
क्रमांक हस्ताक्षर

जी.ए. 55-ए का प्रमाण पत्र:- पॉलिसी संख्या कर्मचारी का नाम
प्रमाणित किया जाता है कि प्रपत्र जीए-55ए में अंकित कटौतियाँ उक्त बीमेदार के वेतन से काटी गई है।

अतः इस प्रमाण पत्र के आधार पर लुप्त कटौतियों को क्रेडिट देकर भुगतान करने का कष्ट करें इस भुगतान की जिम्मेदारी निम्न हस्ताक्षरकर्ता की होगी।
आहरण एवं वितरण अधिकारी